न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 09 / अपील / 19

विष्णु प्रसाद आ0 रामप्रताप नि0 बालाजी मन्दिर के पास पचपहाड़ वगै0.
बनाम
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 418 दिनांक 21.07.1995 जो तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा तस्दीक किया गया।

....

6/5/19

अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 21.07.1995 जिसके द्वारा ग्राम पचपहाड़ स्थित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 418 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होने पर प्रस्तुत की गई है। अपील मेंमों में अंकन किया गया है कि अपीलार्थी के पिता रामप्रताप के फोत हो जाने पर तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में रामप्रताप के वारिसान में पुत्र विष्णु,कैलाश,महेश, अरूण व पुत्री सोहन बाई व कमला बाई का नाम अंकन किया जबकि सोहनबाई मृतक रामप्रताप की पुत्री ना होकर पत्नी थी जो रामप्रताप की मृत्यु से पूर्व 10.04.1980 को फोत हो चुकी थी। नामान्तरकरण संख्या 418 में दर्ज सोहनबाई को पत्नी के रूप में व फोत हो जाने से कम किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण शुद्धीकरण (correction of entry) का है व इस तरह के प्रकरणों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के नियमों में प्रावधान हैं। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अपील अपीलान्ट को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। अभिभाषक अपीलान्ट विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रकरण बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़